

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

1981 का प्रथम अपील सं. 531

1. श्री राम बरन राय मृतक का पुत्र चंद्र शेखर प्रसाद गाँव- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना फुलवारी, जिला- पटना (मृत)
- 1(I). मोस्मात शांति देई, पत्नी-स्वर्गीय चंद्र शेखर प्रसाद
- 1(II). श्री चंद्र भानु प्रसाद (मृत)
- 1(II)(i). रेखा देवी, पत्नी स्वर्गीय चंद्र भानु कुमार
- 1(II)(ii). गौतम कुमार, पुत्र स्वर्गीय चंद्र भानु कुमार
- 1(II)(iii). हिमांशु कुमार, उम्र 15 साल, नाबालिग पुत्र जो अपनी स्वाभाविक अभिभावक माँ रेखा देवी के संरक्षण में है।
- 1(III). रंजीत कुमार, पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रसाद
- 1(IV). ब्रजेश कुमार (मृत)
- 1(IV)(i). वैष्णवी कुमारी, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार

अपीलार्थी संख्या 1(II)(i), 1(II)(ii), 1(II)(iii) और 1(IV)(i) ग्राम के निवासी हैं और पी. ओ. मनोहरपुर कछुआरा, थाना- गोपालपुर, जिला- पटना

अपीलार्थी संख्या 1(I) और 1(III) गाँव के निवासी हैं- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. श्रीमती मुंगिया देवी, श्री अजोधेया महटन (मृत) की विधवा
2. नागेश्वर प्रसाद पुत्र स्वर्गीय पुत्र राम बरन प्रसाद

श्री नरेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री राम बरन प्रसाद दोनों दिवंगत श्री राम बरन प्रसाद के पुत्र जो

3. श्रीमती राज कुमारी देवी माँ और अगली दोस्त के संरक्षण में
4. श्री राम प्रसाद राय(निष्कासित) के पुत्र श्री विशुंधारी
- 5(ए). मनोज कुमार, पुत्र विशुंधारी राय सभी ग्राम के निवासी हैं और पी. ओ.- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला। -पटना

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961-धारा 16(2)- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925- धारा 276 पंजीकरण अधिनियम, 1908- धारा 17 वसीयत के गैर-पंजीकरण अधिनियम, 1908- धारा 17- वसीयत के गैर-पंजीकरण के आधार पर, प्रोबेट मामला खारिज किया जाता है- वसीयती दस्तावेज नहीं मिलने के कारण, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत वसीयत का कोई स्थान नहीं है-प्रश्नगत वसीयत का पंजीकरण आवश्यक नहीं है एवं वसीयत का गैर-पंजीकरण प्रोबेट के लिए घातक नहीं है विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से प्रोबेट मामला को रखरखाव के बिंदु पर इस आधार पर खारिज कर दिया कि वसीयत गैर-पंजीकृत है-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश खारिज किया जाता है एवं टाइटल सूट को निचली अदालत को वापस भेजा जाता है कि उक्त न्यायालय इस पर योग्यता के आधार पर नये सिरे से निर्णय ले। (कंडिका 11 से 14) संदर्भित मामले: कोशिला देवी बनाम पार्वती देवी, अखिल भारतीय प्रतिवेदक 1979, पटना 65(खंड पी.)-भरोसा किया गया। श्रीमती दिल कुअर उर्फ अकाली देवी, अखिल भारतीय प्रतिवेदक 1979 पटना 193- कोशिला देवी द्वारा प्रत्यादिष्ट बनाम पार्वती देवी, अखिल भारतीय प्रतिवेदक 1979 पटना 65(खंड पीठ) की प्रभाकर बनाम बसवराज के.2022(1) एस सी सी 115-संदर्भित।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

1981 का प्रथम अपील सं. 531

1. श्री राम बरन राय मृतक का पुत्र चंद्र शेखर प्रसाद गाँव- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना फुलवारी, जिला- पटना (मृत)
- 1(I). मोस्मात शांति देई, पत्नी-स्वर्गीय चंद्र शेखर प्रसाद
- 1(II). श्री चंद्र भानु प्रसाद (मृत)
- 1(II)(i). रेखा देवी, पत्नी स्वर्गीय चंद्र भानु कुमार
- 1(II)(ii). गौतम कुमार, पुत्र स्वर्गीय चंद्र भानु कुमार
- 1(II)(iii). हिमांशु कुमार, उम्र 15 साल, नाबालिग पुत्र जो अपनी स्वाभाविक अभिभावक माँ रेखा देवी के संरक्षण में है।
- 1(III). रंजीत कुमार, पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रसाद
- 1(IV). ब्रजेश कुमार (मृत)
- 1(IV)(i). वैष्णवी कुमारी, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार

अपीलार्थी संख्या 1(II)(i), 1(II)(ii), 1(II)(iii) और 1(IV)(i) ग्राम के निवासी हैं और पी. ओ. मनोहरपुर कछुआरा, थाना- गोपालपुर, जिला- पटना

अपीलार्थी संख्या 1(I) और 1(III) गाँव के निवासी हैं- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. श्रीमती मुंगिया देवी, श्री अजोधेया महटन (मृत) की विधवा
2. नागेश्वर प्रसाद पुत्र स्वर्गीय पुत्र राम बरन प्रसाद

श्री नरेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री राम बरन प्रसाद दोनों दिवंगत श्री राम बरन प्रसाद के पुत्र जो

3. श्रीमती राज कुमारी देवी माँ और अगली दोस्त के संरक्षण में
4. श्री राम प्रसाद राय(निष्कासित) के पुत्र श्री विशुंधारी
- 5(ए). मनोज कुमार, पुत्र विशुंधारी राय सभी ग्राम के निवासी हैं और पी. ओ.- मनोहरपुर, कछुआरा, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला। -पटना

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

अपीलार्थी की के लिए: श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता

श्री शिव दयाल सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री शशि भूषण प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री खातिम रेज़ा

मौखिक निर्णय

दिनांक: **26-09-2023**

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. यह अपील 1972 के सम्प्रमाण मामला संख्या 160 से उत्पन्न 1976 के 1976/01 शीर्षक मामलों संख्या 17 में पटना के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-v द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें विद्वत निचली अदालत ने सम्प्रमाण को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया है।

3. अपीलार्थी ने अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के प्रोबेट के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया है। अपीलार्थी का मामला यह है कि अयोध्या राय ने मूल

अपीलार्थी-(वादी) और उसके दो भाइयों के पक्ष में 18.06.1967 को एक वसीयत निष्पादित की। यह आगे तर्क दिया जाता है कि एक वसीयत को निष्पादित करते समय वह स्वस्थ दिमाग की स्थिति में था और उसके पास पूर्ण निपटान क्षमता थी। वसीयत की सामग्री को पढ़ा गया और उसे समझाया गया और वह इसे पूरी तरह से समझ गया और उसके बाद, स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्र सहमति से वसीयत को निष्पादित किया। यह आगे तर्क दिया जाता है कि इसे विधिवत सत्यापित किया गया था। आवेदक-अपीलार्थी ने वसीयत के प्रोबेट के अनुदान के लिए 1972 का प्रोबेट मामला संख्या 160 दायर किया। विरोधी पक्ष-प्रतिवादी सं.1 से4 द्वारा आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद। उक्त प्रोबेट मामले को 1976 के 1976/01 के टाइटल सूट नंबर 17 में परिवर्तित कर दिया गया था। अन्य दो भाई, जो वसीयत के तहत लाभार्थी हैं, उन्हें विरोधी पक्ष/प्रतिवादी सं.2 एवं 3 बनाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उस समय जब उक्त वसीयत निष्पादित की गई थी, अपीलार्थी नाबालिग था और इसलिए वसीयत के तहत अपीलार्थी और प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 के पिता श्री राम बरन राय की अपीलार्थी और अन्य लाभार्थियों के नाबालिगी के दौरान वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया था। वसीयत के तहत संपत्तियों का वर्णन आवेदन के साथ संलग्न अनुसूची में किया गया है।

4. स्वर्गीय अयोध्या राय और विशुंधारी प्रसाद(प्रतिवादी सं.4) की पत्नी मोस्मात् मुंगिया देवी यह आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज की गई कि प्रश्नगत वसीयत वास्तविक नहीं है और जाली, मनगढ़ंत और कथित वसीयतकर्ता की जानकारी के बिना है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता स्वस्थ दिमाग का नहीं था। वह 1965 से मायलिटीज से पीड़ित थे और अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ हो गए थे और यह भी कहा था कि कोई प्रोबेट नहीं दिया जा सकता है।

5. उपरोक्त स्वामित्व वाद (प्रोबेट मामला) के लंबित रहने के दौरान, मोस्मात् मुंगिया देवी और विशुंधारी प्रसाद-आपत्ति कर्ता प्रतिवादी सं. 1 और 4 ने एक संयुक्त याचिका दायर की और इस आधार पर प्रोबेट मुकदमे के रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वसीयत को रैयती भूमि (कृषि भूमि) के संबंध में निष्पादित किया गया है। वसीयत अपंजीकृत है और के बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और

अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1961 की धारा 16(2)(iii)के प्रावधान के तहत, कृषि भूमि के संबंध में वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त प्रोबेट मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं है और प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कायम रखने के आधार पर खारिज किया जा सकता है और पहले उसी पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है।

6. निचली अदालत ने प्रारंभिक मुद्दे के मुद्दे पर पक्षों को सुनने के बाद प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया, यानी कि क्या आवेदक द्वारा दायर याचिका कायम रखने योग्य है?

7. पक्षकारों को सुनने के बाद, 28.09.1977 को विद्वत निचली अदालत ने कायम रखने योग्य अभिनिर्धारण के आधार पर प्रोबेट मुकदमे को खारिज कर दिया कि उक्त वसीयत अपंजीकृत है और बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) (iii) के विरुद्ध है, एवं श्रीमती दिल कुअर उर्फ अकाली देवी और अन्य ने एआईआर **1976** पटना **193** में रिपोर्ट किये गए इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वसीयत का पंजीकरण प्रोबेट के अनुदान के लिए आवश्यक है जब यह बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के अनुसार रैयती भूमि से संबंधित है। इसके बाद, वसीयत के प्रोबेट के अनुदान के लिए आवेदक द्वारा दायर आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया और प्रोबेट सूट को रखरखाव के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

8. अपीलार्थी ने 1972 के सम्प्रमाण मामला संख्या 160 से उत्पन्न 1976 के 1976/01 के सम्प्रमाण मामला संख्या 17 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पटना द्वारा दिनांक 28-09-1977 पारित उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की।

9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त प्रोबेट वाद को केवल इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रोबेट देने के लिए वसीयत का पंजीकरण आवश्यक है और श्रीमती दिल कुअर उर्फ अकाली देवी और अन्य ने ए.आई.आर.**1976** पटना **193** के मामले में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

10. उक्त निर्णय को बाद में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने कोशिला देवी बनाम पार्वती देवी ने ए.आई.आर.**1979** पटना **65 (डी.बी.)** के मामले रद्द किया यह अभिनिर्धारित करते हुए कि रैयती भूमि के संबंध में भी ऐसा कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

11. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने आगे इस बात पर भरोसा किया कि वी. प्रभाकर बनाम बासवराज के. और एक अन्य रिपोर्ट **2022(1)** एस.सी.सी. **115** में दी गई, के मामले में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ नं. 19 में नीचे दिए अनुसार निर्धारित किया:-

“19. पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 उन दस्तावेजों से संबंधित है जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। वसीयत एक वसीयती दस्तावेज होने के कारण धारा 17 के तहत स्थान नहीं पाता है जो तथ्य धारा 18 के तहत दोहराया गया है, जिससे इस तरह के दस्तावेज को एक पक्ष के विकल्प पर पंजीकृत किया जा सके। एक वसीयत जो मूल रूप से पंजीकृत नहीं है, धारा 27 के तहत किसी भी समय पंजीकरण के लिए प्रस्तुत या जमा की जा सकती है। इसलिए, वसीयत का पंजीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 चित्रण (ई) के तहत उपलब्ध खंडन योग्य अनुमान के साथ इसे साबित करने के लिए केवल एक अतिरिक्त या उपस्थित परिस्थिति है।”

12. अभिवचनों का विश्लेषण करने और पक्षकारों के विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ प्रस्तुतियों पर अनुशीलन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वत निचली अदालत ने प्रोबेट मामले के रखरखाव के बिंदु पर प्रोबेट मामले को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया है कि वसीयत एक अपंजीकृत है। जिस निर्णय पर निचली अदालत ने भरोसा किया था, उस पर इस अदालत की एक खंड पीठ ने रद्द कर दिया है और एक वसीयत का पंजीकरण न करने के सिद्धांत को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

13. वर्तमान मामले में लागू कानून को देखते हुए, प्रश्नगत वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और वसीयत का गैर-पंजीकरण वसीयत की जांच के

लिए घातक नहीं है। केवल प्रारंभिक मुद्दे पर बिना किसी मुकदमे के प्रोबेट मामले की दहलीज पर स्थित विद्वत निचली अदालत ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जो कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है।

14. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और 1972 के प्रोबेट मामला संख्या 160 से उत्पन्न 1976 के 1976/01 के शीर्षक वाद संख्या 17 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-V, पटना द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और 1976 के 1976/01 के शीर्षक वाद संख्या 17 को पक्षकारों को उचित सूचना और सुनवाई का अवसर देने के बाद योग्यता पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत में भेज दिया जाता है।

(खातिम रेज़ा, न्यायमूर्ति)

प्रभात/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।